

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./


192 / 2024 दिनांक 20.08.2024

श्रीमती अनुभा सिंह (RJ00903), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) को दिनांक 27.08.2024 से 05.09.2024 तक 10 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 24.08.2024 से 26.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/74/2015/6578

दिनांक : 20.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 10488 दिनांक 23.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनुभा सिंह (RJ00903), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।

  
सहायक रजिस्ट्रार